पत्रांक 6/वि० 9–28/2011.........

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

अमरजीत सिन्हा,
प्रधान सचिव,

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक।

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

पटना, दिनांक–................................/

विषय – तम्बाकू सेवन नहीं करने के संबंध में राज्य के सभी स्कूलों में वर्ष में एक दिन (07 नवम्बर को) प्रतिज्ञा दिवस मनाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में कहना है कि पूर्व में विभागीय पत्रांक 704 दिनांक–02.06.2011 तथा पत्रांक 839 दिनांक–16.07.2012 द्वारा छात्रों को तम्बाकू के दुष्परिणामों से बचाने के उद्देश्य से तम्बाकू नियंत्रण कानून का अनुपालन सुनिश्चित कर शिक्षण संस्थाओं का तम्बाकू मुक्त घोषित करने हेतु विस्तृत दिशा–निदेश भेजा गया।

इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी स्कूलों (निजी विद्यालय सहित) में साल में एक दिन दिनांक–07 नवम्बर (कैसंर जागरूकता दिवस) को शपथ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें सभी विद्यार्थिगण निम्नांकित शपथ लेंगे।

" मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं सिगरेट, बीड़ी, पान–पराग, गुटका, खैनी, तम्बाकू या तम्बाकू से बने किसी भी वस्तु का आजीवन सेवन नहीं करूँगा/करूँगी तथा सदा चेष्टा करूँगा/करूँगी कि मेरे परिवार के ऐसे सदस्य एवं मेरे मित्र जो इसका सेवन करते है वे इस आदत को छोड़ दे"।

उक्त कार्यक्रम की शुरूआत इसी वर्ष से करते हुए आगामी 07 नवम्बर 2012 को सभी स्कूलों के विद्यार्थिगण को उक्त शपथ दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(अमरजीत सिन्हा)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–6/वि०9–28/2011....1247 पटना, दिनांक–.... 11/10/012 ....../

प्रतिलिपि– सभी प्राचार्य इन्टर एवं डिग्री महाविद्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अपने महाविद्यालयों को तम्बाकू मुक्त बनाने हेतु आवश्यक पहल सुनिश्चित करें।

2. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सचूनार्थ प्रेषित।

3. सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।